न्यायालय जिला कलेक्टर एंव प्रथम अपील अधिकारी ,टोंक

(आर.सी.ढेनवाल,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 21/2019

ओंकार लाल मीणा से0 नि0 सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी ए–28 पटेल नगर पंचायत समिति के पीछे देवली जिला–टोंक राज0

––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव उप कोषाधिकारी देवली जिला–टोंक

––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 22–7–2019

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी टोंक को दिनांक 23–4–2019 को आवेदन प्रस्तुत कर सूचना चाही गई थी किन्तु सूचना उनके कार्यालय से सम्बन्धित नहीं होने के कारण उनके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6(3) के तहत आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी एंव कोषाधिकारी टोंक को पत्र कमांक 355 दिनांक 25–4–2019 से अन्तरित कर सूचना भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। कोषाधिकारी टोंक ने उक्त सूचना उनके कार्यालय से सम्बन्धित नहीं होने पर पत्र कमांक 253 दिनांक 22–5–2019 से उप कोषाधिकारी देवली को अन्तरित कर सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया। अपीलान्ट ने उप कोषाधिकारी देवली से निम्न प्रकार सूचना चाही गई है:–

1–श्रीमान जी मेरे मासिक पेंशन एरियर में की गई अयकर कटोती को आयकर विभाग में भिजवाये जाने का स्टेटमेंट डिटेल प्रदान करें।

2–श्रीमान जी मेरे मासिक पेंशन एरियर में की गई अयकर कटोती का फार्म–16 प्रत्येक वित्त वर्ष का (वित्त वर्ष 2015–16, 2016–17, 2017–18 एंव 2018–19 का) अलग अलग फार्म–16 प्रदान करने की कृपा करें।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना प्राप्त नहीं होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एंव उप कोषाधिकारी देवली के विरूद्ध प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव उप कोषाधिकारी देवली को पत्र कमांक 521 दिनांक 21–6–2019 से लिखा जाकर जवाब तलब किया गया। लोक सूचना अधिकारी एंव उप कोषाधिकारी देवली ने पत्र कमांक 101 दिनांक 1–7–2019 से आवेदक को सूचना भिजवाते हुए एक प्रति कार्यालय हाजा में

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

भिजवाई है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना न्यायालय हाजा से जवाब तलब करने पर रजिस्टर्ड डाक से दी गई है जबकि एक माह की अवधि मे सूचना दिये जाने का प्रावधान है। भविष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम के नियमों को ध्यान में रखकर एक माह की अवधि में आवेदकों को सूचना/जवाब देने की सुचिश्चित्ता करें। चूँकि आवेदक को सूचना रजि0 डाक से प्रेषित की गई है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उप कोषाधिकारी देवली तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(आर.सी.ढेनवाल)
जिला कलेक्टर एंव
प्रथम अपील अधिकारी टोंक
जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय कलेक्टर टोंक (राजस्थान)